(96)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1672–दो/2005 – विरूद्व आदेश दिनांक 26–3–1999 पारित व्दारा अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर – प्रकरण कमांक 19/1994–95 अपील

रमेश कुमार सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह
ग्राम पोड़ी तहसील देवसर
जिला सीधी , मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

1– रामफल पुत्र सूखन कलार
2– रामभिलाष पुत्र रामपाल
निवासी ग्राम पापल तहसील
देवसर जिला सीधी म0प्र0 ——असल अनावेदक
3– रामप्रकाश पुत्र उदयभान
ग्राम छपरछ तहसील देवसर
जिला सीधी मध्य प्रदेश ——तरतीवीं अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अमित भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 14–09–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 19/1994–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–3–99 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम छमरछ की भूमि सर्वे कमांक 1070

उसके स्वामित्व की थी किन्तु बंदोवस्त के दौरा 1070 से सर्वे नंबर 2047 एंव 2367 बनाये गये है एंव उसके नाम किये गये , जो स्थल की स्थिति के विपरीत है अतः स्थल की स्थिति के अनुसार अभिलेख में सुधार किया जावे। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने यह आवेदन जॉच प्रतिवेदन हेतु सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल कमांक–3 को प्रेषित किया, जिस पर जॉच. उपरांत सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल कमांक–3 ने पुनरावलोकन की अनुमति मांगी, जो बंदोवस्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 12–8–1993 से प्रदान की। सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल कमांक 3 सीधी ने पक्षकारों को सुनकर प्रकरण कमांक 3 बी–121/90–91 में आदेश दिनांक 8–4–93 पारित किया तथा बंदोवस्त के दौरान हुई त्रृटि का सुधार कर दिया। इस आदेश के विरूद्व बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष अनावेदक कमांक 1, 2 ने अपील प्रस्तुत की। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 20/92–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–5–1994 से अपील निरस्त की। इस आदेश के विरूद्व अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के न्यायालय में द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 19/1994–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–3–99 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी व्दारा पुनरावलोकन के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही व पारित आदेश दिनांक 12–8–93 तथा बंदोवस्त अधिकारी सीधी का आदेश दिनांक 7–5–1994 निरस्त कर दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक कमांक 1 व 2 व्दारा अवधि वाह्य अपील प्रस्तुत की थी, किन्तु उन्होंने समयावधि के बिन्दु पर विचार नहीं किया। जब अपर बंदोवस्त आयुक्त ने आदेश में स्वीकार किया है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश पारित करते समय

उभय पक्ष उपस्थित रहा है तब ऐसी कार्यवाही को सही माना जाना चाहिये। बंदोवस्त के दौरान हुई त्रृटि को कभी भी ठीक किया जा सकता है। सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने बंदोवस्त के दौरान की गई त्रृटि को पुनरावलोकन में ठीक किया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने एंव सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि बंदोवस्त के छै सात वर्षो वाद रमेश कुमार ने दुरूस्ती आवेदन दिया है जिसके कारण दुरूस्ती आवेदन प्रचलन योग्य नहीं था। अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 26–3–99 में सही निष्कर्ष निकाले गये हैं जिसके कारण निगरानी निरस्त की जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब को अनुचित आधारों पर क्षमा करने का तर्क दिया है। इस संबंध में अपर बंदोवस्त आयुक्त के आदेश दिनांक 26–3–99 का पद 3 इस प्रकार है–

'' सर्वप्रथम अपीलार्थियों ने समय सीमा के बिन्दु पर निवेदन किया। उनका कहना है कि नियत दिनांक 7–4–1994 को आदेश पारित नहीं हुआ, यह आदेश –5–94 को पारित किया गया है जिसकी उन्हें सूचना नहीं थी। दिनांक 29–6–94 को जानकारी मिलने पर उन्होंने नकल लेकर अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थियों व्दारा बताये गये तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से पुष्टि होती है अतः अपील समयावधि में मान्य की जाती है। ''

अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 26–3–99 में उक्तानुसार दिया गया विवरण समाधान–कारक है कि किस दिनांक को आदेश पारित किया गया है जबकि आदेश के नीचे –5–94 महिना एंव वर्ष लिखा है एंव तारीख छोड़ी गई है, जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक व्दारा विलम्ब के सम्बन्ध में दिया गया तर्क उचित नहीं है।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 19/1994–95 अपील में पारित

आदेश दिनांक 26—3—99 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि भले ही सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 12—8—93 में उभय पक्ष का उपस्थित होना अंकित किया है किन्तु उपस्थिति के हस्ताक्षर केवल यदुनाथ सिंह के हैं जो कि रिस्पा. क. 1 के पिता हैं। अपर बंदोवस्त आयुक्त ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी के प्रकरण कमांक 3 बी—121/90—91 के परीक्षण पर पाया है कि अनावेदक कमांक 1 एंव 2 को सूचना दिये जाने का प्रमाण प्रकरण में उपलब्ध नहीं है एंव 6 वर्ष पूर्व किये गये बंदोवस्त के अंतिम हो जाने के वाद लम्बे अंतराल से पुनरावलोकन की कार्यवाही को अपर आयुक्त बंदोवस्त ने उचित नहीं माना है जिसके कारण अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 19/1994—95 अपील में पारित आदेश दिनांक 26—3—99 में विसंगति नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 19/1994—95 अपील में पारित आदेश दिनांक 26—3—99 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर